लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3207

6 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र कामगार/बुनकर

3207. डॉ. रमापति राम त्रिपाठीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न कारखानों में कार्यरत वस्त्र कामगारों/बुनकरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसे कामगारों की स्थिति विशेषरूप से स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित दयनीय है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वस्त्र कामगारों/बुनकरों की असमय मृत्यु के मामले में उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत निर्धारित कारखाना मालिकों की निर्धारित की गई भूमिका और जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश के वस्त्र कामगारों/बुनकरों का बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखने के लिए शुरू किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): देश के विभिन्न कारखानों में लगे वस्त्र कामगारों/बुनकरों की संख्या संबंधी आंकड़े/सूचना का रखरखाव वस्त्र मंत्रालय में नहीं किया जाता है।

(ख) से (च): भारत सरकार विद्युतकरघा बुनकरों/कामगारों के कल्याण के लिए अखिल भारत आधार पर विभिन्न वस्त्र क्षेत्र में लगे वस्त्र कामगारों/बुनकरों के लिए कन्वर्जड समूह बीमा योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। प्रीमियम और लाभों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

प्रीमियम और लाभों का विवरण				
अंशदान	51 से 59 वर्ष की आयु	18 से 50 वर्ष की आयु		
	एएबीवाई*	पीएमजेजेबीवाई**	पीएमएसबीवाई***	
लाभार्थियों का अंशदान	**80 रु.**	**80 रु.**	-	
एलआईसी	**100 रु.**	**100 रु.**	-	
एमओटी	**290 रु.**	**150 रु.**	**12 रु.**	
कुल प्रीमियम	**470 रु.**	**342 रु.**		
लाभ:				
निम्नलिखित पर बीमा कवरेज	योजना		कुल लाभ	
	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेजेबीवाई + पीएमएसबीवाई	एएबीवाई
प्राकृतिक मृत्यु	**2,00,000 रु.**	---	**2,00,000 रु.**	**60,000 रु.** (किसी कारण से मृत्यु)
दुर्घटनावश मृत्यु	**2,00,000 रु.**	**2,00,000 रु.**	**4,00,000 रु.**	
स्थायी विक्लांगता	---	**2,00,000 रु.**	**2,00,000 रु.**	
आंशिक विक्लांग	---	**1,00,000 रु.**	**1,00,000 रु.**	

*आम आदमी बीमा योजना, **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ***प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

इसके अलावा भारत सरकार हथकरघा बुनकरों/कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए देशभर में हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) भी क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के दो घटक नामत: (i) पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और कन्वर्जड एमजीबीबीवाई के अंतर्गत जीवन, दुर्घटना और विक्लांगता बीमा कवरेज तथा (ii) आरएसबीवाई पद्धति पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज (31.03.2018 तक) हैं।

(i) **जीवन**, **दुर्घटना और विक्लांगता बीमा कवरेज** - यह योजना 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई)/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और 51 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के मौजूदा बुनकरों के लिए कन्वर्जड महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों/कामगारों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए देश भर में क्रियान्वित की जा रही है। पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई और कन्वर्जड एमजीबीबीवाई के अंतर्गत बीमा लाभ, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) के घटक नीचे दिए अनुसार हैं:

क्र.सं.	**लाभ**	**पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई**	**एमजीबीबीवाई कन्वर्जड**
(i)	प्राकृतिक मृत्यु	2,00,000/- रु.	60,000/- रु.
(ii)	दुर्घटनावश मृत्यु	2,00,000/- रु.	1,50,000/- रु.
(iii)	स्थायी विक्लांगता	2,00,000/- रु.	1,50,000/- रु.
(iv)	आंशिक विक्लांग	1,00,000/- रु.	75,000/- रु.

वार्षिक प्रीमियम के अंशदान की हिस्सेदारी नीचे दिए अनुसार है:

क्र.सं	**हिस्सेदारी**	**राशि**	
(i)	भारत सरकार का अंशदान	162/- रु.	290/- रु.
(ii)	बुनकरों का अंशदान	80/- रु.	80/- रु.
(ii)	एलआईसी का अंशदान	100/- रु.	100/- रु.
	कुल प्रीमियम	342/- रु.	470/- रु.

(ii) आरएसबीवाई पद्धति पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज - स्वास्थ्य बीमा योजना (एचआईएस) को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएण्डएफडब्ल्यू) की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) की पद्धति पर मार्च, 2018 तक क्रियान्वित किया गया था। दिनांक 23.09.2018 को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) के शुरू किए जाने से इसमें आरएसबीवाई का विलय कर दिया गया है।

एनटीसी, भारत सरकार द्वारा वस्त्र कामगारों को निम्नलिखित लाभ भी प्रदान किए जाते हैं:-

- कामगारों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना और कर्मचारी राज्य बीमा योजना जैसे सांविधिक अधिनियमों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ईएसआई योजना के अनुसार कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य अपने स्वास्थ्य संबंधी मामलों में इलाज हेतु पात्र हैं।
- कामगारों के आश्रितों की असामयिक मृत्यु हो जाने पर एंबुलेंस की सेवा और अंतिम संस्कार आदि पर व्यय के लिए अग्रिम भुगतान (आवश्यकता आधारित) का प्रावधान है और इसे संबंधित कर्मचारी के बकाए से वसूला जाता है। कुछ इकाई/मिलों में कामगारों के लिए 'कर्मचारी परिवार कल्याण निधि योजना' भी उपलब्ध है, जिसमें इस योजना के सदस्य कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके नामिती/पत्नी को 50,000 रु. की राशि का भुगतान किया जाता है।
- वस्त्र कामगारों के बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य शिविरों अर्थात् आंख की जांच, रक्तचाप, मधुमेह, हद्य संबंधी जांच आदि के संबंध में विभिन्न प्रकार की संगोष्ठी/कार्यशाला/प्रशिक्षण आदि का आयोजन किया जाता है।

*****